पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा.

राज0 निगरानी क्र0/ /016

189

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES विलोपित/विलोपित

R 5256-II/16

Rs 30/-

रामचरण तिवारी तनय भैरो प्रसाद तिवारी साकिन ढावा तिवरियान, तहसील हनुमना, जिला रीवा, म0प्र0.

------ आवेदक

विरूद्ध

सूर्यमणि प्रसाद त्रिवेदी पिता रघुनन्दन प्रसाद द्विवेदी सा0 ढावा तिवरियान, तह0 हनुमना जिला रीवा, म0प्र0.

------ अनावेदक

श्री उपेन्द्र पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 8-6-16 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, तह0 मऊगंज, जिला रीवा प्र0क्र 9-अ-12/2015-16 एवं 51-अ-12/11-12 तहसील हनुमना, आदेश दिनांक 23.01.016 मे पारित ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

§01§ यह कि आवेदक एवं अना0 ग्राम टटिहरा, तह0 हनुमना में स्थित भूमि नं0 597 के अलावा अन्य भूमियों के सरहदी काश्तकार है, आवेदक भूमि नं0 596 रकबा 0.71ए0 का सीमांकन हेतु तहसीलदार के न्यायालय मे आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, तहसीलदार साहब रा0नि0 हनुमना को उक्त भूमियों का सीमांकन कर पंचनामा प्रतिवेदन एवं फील्डबुक प्रस्तुत किए जाने का आदेश प्रदान कियाथा रा0नि0 ने उक्त भूमि का बिना सीमांकन किए ही अपने कार्यालय मे

निरंतर....

रामचरन

(129)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

जिला--रीवा

प्रकरण क्रमांक **R**–5256-**II** / 16

रामचरण तिवारी / सूर्यमणि प्रसाद त्रिवेदी

(1)	(2)
19.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री उपेन्द्र पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील मउगंज, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 09 / अ–12 / 2015–16 एवं 51 / अ–12 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.01.16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य

निरंतर...

बाठवरन